यह निरीक्षण प्रतिवेदन **असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.04.2018 से 07.05.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री बृजभूषण मणि त्रिपाठी, एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों एवं श्री नीखिल गोस्वामी, वरीष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.11.2017 से 17.11.2017 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः खण्ड II ऋषिकेश**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1377.96
2016-17	1858.44
2017-18	G.S.T. लागू

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17		लागू नहीं	
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....'A'... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2 "ब"</u>

प्रस्तर 1:- आई0टी0सी0 का अधिक लाभ लिये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1,50,414/-

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 58 (1) (xi) के अनुसार, ITC के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा किया जाता है तो अर्थदण्ड ` 5,000/- या दावाकृत धनराशि का तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो, देय है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II, राज्य कर, ऋषिकेश के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी मेसर्स- गढ़वाल पेन्ट्स एवं हार्डवेयर, ऋषिकेश के वर्ष 2014-15 के तृतीय तिमाही के विवरणी के अनुसार कुल खरीद ` 13,43,324/- दर्शायी गयी है जिस पर व्यापारी द्वारा ` 1,66,822/ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लिया गया है । व्यापारी द्वारा दाखिल खरीद सूची के अनुसार तृतीय तिमाही में कुल खरीद ` 9,43,951/- की घोषित की गयी है, जिस पर ITC `1,16,684/- का दावा किया गया है । इस प्रकार, विवरणी एवं खरीद सूची में दावा की गयी ITC क्रमशः ` 1,66,822/- एवं ` 1,16,684/- है । जिसमें अन्तरीय ITC ` 50,138/- (अर्थात् ` 1,66,822/- - ` 1,16,684/-) का अधिक लाभ लिया गया है । उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 58 (1) (xi) के अनुसार व्यापारी द्वारा गलत दावा की गयी ITC ` 50,138/- का तीन गुना ` 1,50,414/- अर्थदण्ड भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उचित कार्यवाही कर अवगत कराया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-2 "ब"</u>

प्रस्तर 2 :- कम दर से करारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 14,847/-

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 4 (2) (ख) में प्रावधान है कि अनुसूची-II (क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में एक प्रतिशत की दर से, अनुसूची-II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में चार प्रतिशत की दर से, अनुसूची-II (ग) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में उसमें विनिर्दिष्ट दर से तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा । पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II, राज्य कर, ऋषिकेश के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सर्वश्री सी0 वी0 स्टोर, श्यामपुर, ऋषिकेश के वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण वाद में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में 02 आयात घोषणा पत्र सं0 UKVATM2012 1919337 एवं UKVATM2012 1919338 द्वारा क्रमशः ` 4,72,837/- एवं ` 7,93,062/- कुल ` 12,65,899/- की COMFORTER की खरीद प्रान्त के बाहर से की गयी है । व्यापारी के संगत वर्ष से सम्बन्धित व्यापारिक विवरण निम्नवत् हैः-

Opening Stock- Nil	By Sales (State)	5%	28,200
		13.5%	98,700
Purchase 12,65,899	(Interstate)	5%	76,080
		13.5%	2,66,280
Gross Profit 14,125	Closing Stock		7,50,000

उपरोक्त व्यापारिक विवरण एवं सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश धारा-25/सपठित धारा-31 तथा धारा 9(2) से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा आयातित अवर्गीकृत COMFORTER धनराशि ` 28,200/- तथा ` 76,080/- कुल ` 1,04,280/- की बिक्री 5% की दर से की गयी है । जबकि उक्त वस्तु पर 13.5% की करदेयता है ।

अतः आयातित COMFORTER ` 1,04,280/- की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5% (अर्थात् 13.5% - 8%) से ` 8,864/- कर आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया । साथ ही उक्त धनराशि पर 15% की दर से 03/2018 तक 54 माह (10/2013 से

03/2018 तक) का ब्याज ` 5,983/- बनता है । इस प्रकार, कम दर से करारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 14,847/- (अर्थात् ` 8,864/- + ` 5,983/-) हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-2 "ब"</u>

प्रस्तर 3:- अनियमित स्वतः कर निर्धारण किया जाना

उत्तराखंड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017 दिनांक 30 जून 2017 के अनुसार सीमेंट तथा सेरेमिक टाइल्स के व्यापारी स्वतः कर निर्धारण के पात्र नही माने जाएंगे ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰-II) राज्य कर ऋषिकेश के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि चंदरेश्वर हार्डवेयर, लक्ष्मण झूलारोड ऋषिकेश के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे व्यौहारी द्वारा संगत वर्षों मे बाथ फिटिंग, सैनिटरीवेयर (जिसमे सैनिटरी टाइल्स भी सम्मिलित हैं), टाइल्स, व्हाइट सीमेंट आदि की खरीद बिक्री की गयी है तथा उसे स्वतः कर निर्धारण व्यवस्था का लाभ दिया गया जो कि उपर्युक्त नियमानुसार सर्वथा वर्जित है।

उपर्युक्त आपत्ति के संदर्भ मे लेखापरीक्षा के इंगित करने पर सबंधित अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि व्यापारी को नियमानुसार ही स्वतः कर निर्धारण व्यवस्था का लाभ दिया गया है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नही है क्योंकि व्यापारी अधिसूचना मे इंगित स्वतः कर निर्धारण व्यवस्था से बाहर की गयी वस्तुओं का व्यापारी है। अतः अनियमित स्वतः कर निर्धारण के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-19/2007-08	-	06	-
CT-19/2009-10	-	01,02,03	-
CT-15/2014-15	-	01	-
CT-32/2016-17	-	-	-
CT-102/2017-18	1	01,02,03,04	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
CT-19/2007-08		06	इस कार्यालय के पत्र संख्या 677/26.12.13 को अनुपालन आख्या प्रेषित संलग्न है।	अर्थदण्ड की कार्यवही पूर्ण नही अतः प्रस्तर यथावत रहना उचित होगा
CT-19/2009-10		01,02,03	इस कार्यालय के पत्र संख्या 638/25.03.2011 को अनुपालन आख्या प्रेषित संलग्न है।	भाग दो ब प्रस्तर-1 ब्याज 6700/- 22.03.2014 को जमा अतः निक्षेप योग्य है प्रस्तर 2,3 यथावत
CT-15/2014-15		01	इस कार्यालय के पत्र संख्या 244/10.07.17 को अनुपालन आख्या प्रेषित संलग्न है।	ज्वाइंट कमि. स्तर पर विचाराधीन फलतः यथावत।

CT-32/2016-17		-	-	-
CT-102/2017-18	01	01, 02, 03, 04 TAN	ऑडिट ऑख्या इस कार्यालय के 673/09.03.2018 द्वारा प्रेषित छायाप्रति संलग्न। ऑडिट ऑख्या इस कार्यालय के 673/09.03.2018 द्वारा प्रेषित छायाप्रति संलग्न। ऑडिट ऑख्या इस कार्यालय के 673/09.03.2018 द्वारा प्रेषित छायाप्रति संलग्न। ऑडिट ऑख्या इस कार्यालय के 673/09.03.2018 द्वारा प्रेषित छायाप्रति संलग्न। ऑडिट ऑख्या इस कार्यालय के 673/20.03.2018 द्वारा प्रेषित छायाप्रति संलग्न।	ज्वाइंट कमि. स्तर पर विचाराधीन फलतः प्रस्तर का यथावत रहना उचित होगा ।

NOTE:- प्रस्तावित निस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती पल्लवी चुफाल	सहा. आयुक्त,(जुलाई 2015 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र